न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14/2018

बउनवान

1. मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड़
2. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन जाति धाकड़ निवासीगण मण्डोला तह0 व जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

सत्यनारायण पुत्र बलराम जाति धाकड़ निवासी मण्डोला तहसील व जिला बारां (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनराजगी आदेश तहसीलदार बारां
प्रकरण संख्या 3/17 बउनवान सत्यनारायण बनाम मनोज कुमार वगैरा निर्णय दिनांक 06.04.2018
अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थित :—1.श्री ललित नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2.श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 11.08.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नही कर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.04.2018 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा एकतरफा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की आराजी ग्राम मण्डोला खसरा नंबर 2405, 2406 के मध्य जो गडार बनी हुई है वह अपीलांट की स्वंय की आराजीयात में जाने हेतु अपीलांट ने अपनी सुविधा अनुसार बनाई हुई है उक्त गडार पर रेस्पोडेन्ट का कोई अधिकार नहीं है। उक्त गडार रेवेन्यू रेकार्ड में कहीं अंकित नहीं है। अपीलांट को परेशान करने की गरज से रेस्पोडेन्ट गैर कानूनी तरीके से उक्त गडार को रास्ते के रूप में काम मे लेने पर आमादा है जबकि उक्त गडार अपीलांट की खाते की आराजी का हिस्सा है। जबकि रेस्पोडेन्ट की आराजीयात पर जाने के लिये पूर्व से ही एक अन्य रास्ता बना हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 3/17 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर नियमानुसार ... की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया ... अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष ... अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलांट के खाते एवं कब्जे

काश्त की आराजीयात ग्राम मण्डोला खसरा नंबर 2405 एवं 2406 के मध्य स्थित गडार से रास्ता बहाल करने हेतु अपीलांट को पाबंद किया है। उक्त आदेश केम्प में बिना अपीलांट को सुने पारित किया गया है। अपीलांट के खाते की उक्त आराजी में से होकर राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता स्थित नहीं है। पूर्व में अलग से सरकारी रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने नया रास्ता कायम किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. वाद प्रस्तुत किया जिसमें उक्त रास्ता प्रचलित रास्ता माना तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. पर तहसीलदार बारां ने अपीलांट की उपस्थिति में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रचलित रास्ता होने तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से निर्णय दिनांक 06.04.2018 पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

रिपीटल मे अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उक्त रास्ता प्रचलित रास्ता नहीं बताया गया है। अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से पाबंद पिता को किया है जबकि खातेदार पुत्र है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय दिनांक 22.06.2017 की पालना हेतु तहसीलदार बारां द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को लिखा गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने निर्णय दिनांक 22.06.2017 में ग्राम मण्डोला की आराजी खसरा नंबर 2405, 2406 के मध्य मेड़ पर स्थित रास्ते को प्रचलित रास्ता माना है जबकि पत्रावली में इस संबंध में कोई दस्तावेज/बयान उपलब्ध नहीं है। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्डोला एवं भू अभिलेख निरीक्षक बारां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रार्थीगण कई वर्षों से अपने खाते की आराजी पर आने जाने हेतु उपभोग उपयोग करते आ रहे हैं। मौके पर आने जाने की रास्ते की गडार बनी है। इसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट व बयानों से होती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य नहीं करायी गयी। आराजी खसरा नंबर 2405 के सहखातेदार रामलाल पुत्र गंगोलिया जाति माली को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 3/2017 बउनवान सत्यनारायण बनाम मनोज कुमार वगैरह निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण तके प्रचलित रास्ते के संबंध में पुनः जांच कर, पर्याप्त साक्ष्य लेकर समस्त प्रभावित खातेदारान् [illegible] रूप सुनवाई कर पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.08.202[illegible] लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)